राष्ट्रपति द्वारा संघ वित्त आयोग की सिफारिशें अनुच्छेद- 281 के तहत, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन अनुच्छेद 151(1) के तहत तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को अनुच्छेद 338(6) के तहत संसद के पटल पर रखवाया जाता है।

संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केन्द्रीय मंत्रीमण्डल द्वारा तैयार किया जाता है क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केन्द्रीय मंत्रीमण्डल में निहित है।

भारत के चौथे राष्ट्रपति वी० वी० गिरि (1969-1974) ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहे थे। वे दो बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे।

संविधान की पाँचवी अनुसूची के पैराग्राफ-6 में अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में निम्न प्रावधान हैं।=

1) राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित अथवा विस्तारित किया जा सकता है।

2) किसी भी समय राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र अथवा किसी विशिष्ट भाग को समाप्त किया जा सकता है, जैसा कि 1977 में राष्ट्रपति के आदेश से बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के अनुसूचित क्षेत्रों को निरस्त कर दिया गया।

3) राज्य के राज्यपाल की सहमति से राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है।

उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद-63 से 69 तक)

भारत में राष्ट्रपति के पश्चात् उपराष्ट्रपति ही देश का सर्वोच्च अधिकारी होता है। उपराष्ट्रपति के पद के साथ कोई कृत्य नही जुड़ा है।

राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, बीमारी, पद त्याग, आकस्मिक मृत्यु या अन्य कारणों से अपने कृत्यों का निर्वहन न कर पाने की स्थिति में उसका स्थान लेने के लिए भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है।

भारत में उपराष्ट्रपति के पद संबंधी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है।

अनुच्छेद - 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।

अनुच्छेद - 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का 'पदेन सभापति' होता है व राज्य सभा के पदेन सभापति के रूप में निम्न कार्य करता है।=

1) वह राज्यसभा के कार्यों का संचालन करता है, राज्यसभा में अनुशासन बनाये रखता है तथा आज्ञा का अनुपालन न करने वाले सदस्यों को सदन से निष्कासित करवा सकता है।

2) वह राज्यसभा के किसी सदस्य को सदन में भाषण देने की अनुज्ञा देता है तथा उसकी अनुज्ञा के बिना कोई भी सदस्य भाषण नही दे सकता।

3) वह सदन में पेश किए गये विधेयकों पर विचार-विमर्श करवाता है। विचार-विमर्श के बाद मतदान कराता है व उसका परिणाम घोषित करता है। मत समानता की स्थिति में उसका मत निर्णायक होता है।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

4) उसको यह निर्णय करने की शक्ति प्राप्त है कि कौन सा प्रश्न सदन में पूछने योग्य है।

8:00 AM 5) वह सदन में असंसदीय भाषा के प्रयोग को रोकता है तथा यह आदेश दे सकता है कि असंसदीय भाषा को अभिलेख से निकाल दिया जाए।

9:00 6) वह राज्यसभा में पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है।

7) वह राज्यसभा के विशेषाधिकारों का उलंघन करने वाले व्यक्तियों को

10:00 प्रताड़ित करता है।

⇒ उपराष्ट्रपति अपनी पदावधि के दौरान अन्य कोई लाभ का पद ग्रहण नही

11:00 करता है।

⇒ राज्य सभा की अध्यक्षता उप-राष्ट्रपति द्वारा की जाती है परन्तु वह राज्य सभा

12:00 Noon का सदस्य नही होता है। अतः इनके कार्यकाल पाँच वर्ष होता है।

⇒ उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन और भत्ते देय होता है। (4,00,000₹)

⇒ 1:00 अनुच्छेद - 65 - के तहत राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने

⇒ पर उपराष्ट्रपति नये निर्वाचित राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने तक राष्ट्रपति के

2:00 रूप में कार्य करेगा तथा उस स्थिति में राष्ट्रपति को देय वेतन और भत्तों का हकदार होगा।

⇒ 3:00 अनुच्छेद - 66 (1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर गठित होने वाले निर्वाचक मण्डल द्वारा किया जाता है।

⇒ 4:00 राष्ट्रपति के समान उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। तथा ऐसे निर्वाचन में

5:00 मतदान गुप्त होता है।

⇒ उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, किन्तु

6:00 राज्यों के विधान सभा सदस्य भाग नही लेते हैं।

⇒ राज्य विधानपरिषद के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन

7:00 में भाग नही लेते हैं।

⇒ अनुच्छेद - 66 (2) उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान

8:00 मण्डल के किसी सदन का सदस्य नही होगा और यदि निर्वाचित हो जाता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप

9:00 में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।

⇒ उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और उतने ही मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए तथा ₹ 15,000 की जमानत राशि जमा की जानी चाहिए।

⇒ अनुच्छेद - 66 (3) के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिये —

i) वह भारत का नागरिक हो, ii) वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, iii) राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो; किन्तु भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नही करता हो।

⇒ अनुच्छेद - 67 के तहत उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

तक पद धारण करेगा। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक की उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नही कर लेता है।

⇒ उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है।

⇒ उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प तथा लोक सभा की सहमति (लोकसभा के साधारण बहुमत) से हटाया जा सकता। इसके लिए उपराष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना दी जानी आवश्यक है।

⇒ सैद्धान्तिक रूप से महाभियोग केवल राष्ट्रपति पर होता है तथा उपराष्ट्रपति स्वं अन्य पर संकल्प लगाया जाता है, परन्तु व्यवहारिक रूप में महाभियोग का भी प्रयोग उपराष्ट्रपति तथा अन्य के लिए होता है।

⇒ संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने का कोई प्रावधान नही है।

⇒ राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवाद उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है और उसका विनिश्चय अंतिम है।

⇒ अनुच्छेद - 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति पद पर आसीन होने के पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है।

⇒ अनुच्छेद - 68 के तहत उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष पूरा होने से पूर्व ही चुनाव हो जाना चाहिये ताकि अरिक्तता की स्थिति उत्पन्न न हो

संविधान में यह कहीं भी उल्लेख नही किया गया है कि उपराष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु के पश्चात कितने दिनों में चुनाव करा लिया जाना चाहिये।

क्र० सं०	उपराष्ट्रपति का नाम	कार्यकाल	
1.	डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन	1952 - 1962 (2)	निर्विरोध
2.	डा० जाकिर हुसैन	1962 - 1967 (1)	
3.	वी० वी० गिरि	1967 - 1969 (1)	
4.	गोपाल स्वरूप पाठक	1969 - 1974 (1)	
5.	बी० डी० जत्ती	1974 - 1979 (1)	
6.	मोहम्मद हिदायतुल्ला	1979 - 1984 (1)	निर्विरोध
7.	आर० वेंकटरमन	1984 - 1987 (1)	
8.	डा० शंकर दयाल शर्मा	1987 - 1992 (1)	निर्विरोध
9.	के० आर० नारायणन	1992 - 1997 (1)	
10.	कृष्ण कांत	1997 - 2002 (1)	
11.	भैरो सिंह शेखावत	2002 - 2007 (1)	
12.	मोहम्मद हामिद अंसारी	2007 - (2)	
13.	वेंकैया नायडू	-	-

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

⇒ उपराष्ट्रपति ऐसा व्यक्ति है जो राज्य सभा की अध्यक्षता तो करता है परन्तु उसका सदस्य नहीं होता है।

⇒ भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा मोहम्मद हामिद अंसारी को दो कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति चुना गया।

⇒ दो उपराष्ट्रपति वी० वी० गिरि तथा आर० वेंकटरमन कार्यकाल पूरा करने के पहले ही राष्ट्रपति चुन लिए गए।

⇒ कृष्णकांत भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति थे, जिनकी मृत्यु पदावधि के दौरान हो गयी थी।

⇒ राष्ट्रपति चुनाव में हार जाने के कारण उपराष्ट्रपति भैरोसिंह शेखावत ने कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व ही अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था।

⇒ गोपाल स्वरूप पाठक, बी० डी० जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्ला तथा भैरोसिंह शेखावत ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति नहीं चुने जा सके।

⇒ जुलाई, 2012 में सम्पन्न 14 वें उपराष्ट्रपति चुनाव में मो० हामिद अंसारी को पुनः उपराष्ट्रपति चुना गया है। अतः व्यक्ति क्रम के अनुसार श्री अंसारी 12 वे उपराष्ट्रपति बने हैं।

⇒ संविधान में कार्यकारी उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान नहीं है।

मंत्री- परिषद (The Union Council of Ministers)

⇒ अनुच्छेद - 74 (1) में यह उपबंध है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए व सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा।

⇒ राष्ट्रपति मंत्री- परिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकेगा, पर पुनर्विचार के पश्चात दी गयी सलाह के अनुसार कार्य करने को बाध्य होगा।

⇒ अनुच्छेद - 74 (2) के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जाँच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को सलाह दी और दी तो क्या दी। ऐसा मंत्री- परिषद के निर्णय की गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है, परन्तु बोम्मई मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि हालांकि मंत्री- परिषद की सलाह न्यायिक जाँच के परे है, किन्तु जिन आधारों पर ऐसा परामर्श दिया गया है, वे परामर्श के भाग नहीं होते हैं और उनकी न्यायिक जाँच की जा सकती है।

⇒ अनुच्छेद - 75 (1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा।

⇒ वास्तव में इन दोनो प्रकार की नियुक्तियों में राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है। लोकसभा में जिस दल का स्पष्ट बहुमत होगा, उसी के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, किन्तु जब लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हुआ हो तब राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करेगा, जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने का विश्वास हो।

⇒ अनुच्छेद - 75 (2) के अनुसार संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपना पद धारण करेंगे पर वास्तविकता यह है कि वे प्रधानमंत्री और लोकसभा

Scanned by CamScanner

के प्रसादपर्यन्त अपना पद धारण करते हैं।

⇒ प्रधानमंत्री किसी मंत्री को पद त्यागने या राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने की सलाह दे सकता है। प्रधानमंत्री मंत्री-परिषद् को भंग कर उसका पुनर्गठन भी कर सकता है।

⇒ अनुच्छेद -75(3) के तहत "मंत्री-परिषद् सामूहिक रूप से लोक-सभा के प्रति उत्तरदायी होंगे।"

⇒ अनुच्छेद -75(4) पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को अनुसूची-3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार "राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है।"

⇒ उल्लेखनीय है कि मंत्रियों को पद की एवं गोपनीयता की दो पृथक-पृथक शपथ दिलायी जाती है। (लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा का उपसभापति अपने पद की शपथ न लेकर एक सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं।)

⇒ अनुच्छेद -75(5) के अनुसार मंत्रिपरिषद् का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है। यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा।

⇒ एस० आर० चौहान बनाम पंजाब राज्य (2001) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ऐसा व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है और एक बार मंत्री नियुक्त किया जा चुका है, उसे दोबारा मंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

⇒ अनुच्छेद -75(6) के अनुसार मंत्रियों के वेतन-भत्ते संसद विधि द्वारा समय-समय पर संसद विधि निर्धारित करेंगे।

⇒ मंत्रिपरिषद् का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। मंत्रीपरिषद् तभी तक अपने पद पर रहती है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो।

⇒ वह अधिक से अधिक लोकसभा के कार्यकाल तक, जो कि सामान्यतया 5 वर्ष होता है, अपने पद पर बनी रहती है।

⇒ व्यक्तिगत रूप में किसी मंत्री का कार्यकाल प्रधानमंत्री का उसके प्रति विश्वास पर निर्भर करता है।

⇒ सामूहिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य है कि किसी मंत्री के कार्य के लिए अकेला वह मंत्री उत्तरदायी नहीं होता, बल्कि उसके कार्य के लिए सम्पूर्ण मंत्री-परिषद् उत्तरदायी होती है।

⇒ अतः यदि मंत्रिपरिषद् के किसी एक सदस्य के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस दशा में सम्पूर्ण मंत्री-परिषद् को अपना त्यागपत्र देना होता है।

⇒ इस प्रकार "सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के अनुसार सम्पूर्ण मंत्री-परिषद् एक इकाई के रूप में कार्य करती है और सभी मंत्री एक-दूसरे के कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं।"

⇒ यदि कोई मंत्री किसी निर्णय से असहमत है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए,

Important Notes

क्योंकि मंत्री-परिषद का "सदस्य होते हुये वह उस प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान नहीं कर सकता है।"

8:00 AM
⇒ लार्ड मार्ले ने कहा है कि, "मंत्रिपरिषद के सदस्य एक साथ तैरते हैं और एक ही साथ डूबते हैं।" किन्तु यदि प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी

9:00
मंत्री को पदच्युत किया जाता है तब मंत्रीपरिषद का विघटन नहीं होता है।

⇒ मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री का सामुहिक

10:00
नाम है जबकि मंत्रिमण्डल केवल कैबिनेट मंत्रियों का एक समूह है।

⇒ आकार में मंत्रिपरिषद बड़ी होती है किन्तु मंत्रिमण्डल छोटा, मगर मंत्रिमण्डल

11:00
महत्व की दृष्टि से बड़ा होता है क्योंकि वही शासन की नीति का संचालन करता है।

12:00 Noon
⇒ रेम्जेम्योर के अनुसार, "यह (मंत्रिमण्डल) मंत्रिपरिषद का हृदय है, शासन का परिचालक यंत्र है जिसमें सभी महत्वपूर्ण विभागों के अध्यक्ष

1:00
सम्मिलित रहते हैं।"

⇒ अनुच्छेद-75 (1क) संविधान के द्वारा मंत्री-परिषद के सदस्यों की संख्या

2:00
निश्चित नहीं की गयी थी। मंत्रिपरिषद का आकार प्रधानमंत्री अपने स्वविवेकानुसार तय करता था, किन्तु 91 वें संविधान संशोधन - 2003 द्वारा अनुच्छेद-75(1क)

3:00
जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि मंत्रीपरिषद में प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी।

4:00
⇒ कैबिनेट मंत्रिपरिषद के एक इकाई के रूप में कार्य करता है। इसकी बैठक प्रायः सप्ताह में एक बार होती है किन्तु प्रधानमंत्री जब चाहे तब बैठक बुला

5:00
सकता है।

⇒ मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री अध्यक्षता करता है और उसकी अनुपस्थिति

6:00
में वरिष्ठ मंत्री अध्यक्षता करता है। बैठक का कोई कोरम नहीं होता है।

मंत्री-परिषद
⇒ उल्लेखनीय है कि सम्पूर्ण (मंत्रीमण्डल) की बैठक शायद ही कभी होती है, मंत्री-

7:00
परिषद की ओर से मंत्रीमण्डल या कैबिनेट ही हर मामले पर निर्णय लेता है।

8:00
⇒ मतभेद की स्थिति में निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, जिसे सभी मंत्रियों का संयुक्त निर्णय माना जाता है।

9:00
⇒ सर्वप्रथम 1950 में डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तथा के० सी० नियोगी ने तथा इसके बाद डा० मथाई तथा श्री देशमुख ने भी मंत्रिमण्डल से निर्णय में मतभेद होने के कारण इस्तीफा दिया।

⇒ गोपनीयता के संबंध में यदि लोकसभा में बजट पेश होने के पहले उसकी कोई बात प्रकट हो जाये तो वित्त मंत्री को त्याग-पत्र देने को कहा जा सकता है।

⇒ मंत्रिपरिषद का कोई मंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सम्बोधित करते हुये देता है।

⇒ संसद के किसी सदन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देना पड़ता है।

प्रधानमंत्री (Prime Minister) →

Scanned by CamScanner